MR. SPEAKER: We cannot help it.

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : अभी श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने प्रश्न के दौरान जो यह कहा कि बंगाल की सरकार चीनपरस्त है या पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के बारे में कहा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट के जो मुख्य मंत्री हैं श्री अजय मुकर्जी, उनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अब मैं अपना प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 1966 में जो बैन हमारी तरफ से 1965 की कांफ्लिक्ट के कारण लगाया उसको आपने उठा लिया। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान पर कैसी हुई, वह सद्भावना पूर्ण हुई या नहीं? आपने ताशकन्द घोषणा की पृष्ठभूमि में जो यह कदम उठाया था उस का असर उन पर हुआ या नहीं?

दूसरी बात यह कि क्या यह सच नहीं है कि रूस और अमरीका पाकिस्तान को हमेशा से शस्त्रास्त्र से लैस करते रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के सद्भावपूर्ण कदमों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह हमेशा 1965 की कॉंफ्लिक्ट के बदले के लिए तैयार रहते हैं?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि हमको किसी भी विशेष व्यक्ति पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए जिससे कुछ ऐसी झलक निकलती हो कि वह देश के हित की बात नहीं सोचते हैं। बंगाल की सरकार एक भारतीय सरकार बनी है और हम वहां के किसी भी व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहना चाहेंगे कि वह देश के हित की बात नहीं सोचते हैं।

जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है कि हमारी तरफ से तिजारत खोल देने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा है, मैं समझता हूं कि वहां की जनता ने इसको महसूस किया होगा कि भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है पाकिस्तान की जनता से।

जहां तक पाकिस्तान सरकार का सवाल है उसकी तरफ से अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे हमको यह लगे कि वह भी ताशकंद घोषणा के अनुसार हमारे सम्बन्ध अच्छे करना चाहती है, शांतिपूर्ण ढंग से मामलों को तय करना चाहती है।

जहां तक फौजी सामान देने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। पाकिस्तान को बड़ी तादाद में फौजी सामान देने का यह जरूर मतलब निकलता है कि शांतिपूर्ण ढंग से सुलह न करने के लिए उसको एक मदद मिलती है।

12.21 **hrs.**

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW BY GOVERNMENT ON THE WORKING OF URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED, AND ANNUAL REPORT

THE DEPUTY MINISTER (SHRIMATI NANDINI SATAPATHY): On behalf of Shrimati Indira Gandhi,

I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1656:—

(1) Review by the Government on the working of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, Bihar, for the period from 4th October, 1967, to 31st March, 1968.

(2) Annual Report of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, Bihar, for the period from 4th October, 1967, to 31st March, 1968, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in Library. See.* No. LT—959/69.]

ANNUAL REPORTS OF GOA SHIPYARD LIMITED, GARDEN REACH WORKSHOPS LIMITED, BHARAT EARTH MOVERS LIMITED, PRAGA TOOLS LIMITED, AND MAZAGON DOCK LIMITED

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.R.